

कार्यालय, नगर परिषद्, नवादा
अल्पकालिन आम सूचना सूचना सं०— 17/2025—26
स्वच्छ साथी चयन हेतु

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक— 4081 दिनांक— 26.12.2024 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 अंतर्गत टोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश के आलोक में स्वच्छता साथी का चयन किया जाना है जिसकी विवरणी निम्नवत है :-

1. अभ्यर्थी स्वयं से द्वारा आवेदन प्रपत्र संबंधित अनुलग्नक सहित दिनांक— 27.01.2026 तक नगर परिषद्, नवादा कार्यालय में समय 3:00 बजे अपराह्न तक स्वीकार किये जायेंगे। आवेदक स्वयं आवेदन के साथ उपस्थित होकर आवेदन के साथ उपस्थित होकर आवेदन जमा करेंगे। किसी अन्य माध्यम से भेजे गये आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। उक्त तिथि के बाद किसी प्रकार की कोई दावा मान्य नहीं होगा। (आवेदन का प्रपत्र का प्रारूप संलग्न)
 - (a) चयन संबंधित आवेदन की माँग से संबंधित सूचना निकाय स्तर पर सूचना पट्ट एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर लगाया गया है।
 - (b) Criteria एवं Benefits की विवरणी सूचना में संलग्न है।
 - (c) आवेदन करने हेतु वांछित कागजात (आवेदन पूर्ण अप से भरा हुआ, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, चरित्र प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र जिसका अभ्यर्थी दावा करते हो। साथ ही सभी दास्तावेज स्वअभिप्रमाणित किया हो।)
 - (d) अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों के मूल्यांकन के पश्चात् योग्य आवेदकों को साक्षात्कार हेतु तिथि निर्धारित करते हुए साक्षात्कार में भाग लेने की सूचना कार्यालय नगर परिषद्, नवादा के सूचना पट्ट पर प्रकाशित की जायेगी। आवेदकों अद्यतन जानकारी के लिए समय-समय पर कार्यालय में सम्पर्क करते रहेंगे।
2. सभी अभ्यर्थियों को One to one interview लिया जायेगा।
3. interview के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
4. एकरारनामा के उपरांत उन्हें वार्ड आवंटित किया जायेगा।
5. सभी चयनित उम्मीदवारों का करवाया जायेगा और उन्हें कार्य जिम्मेदारी एवं प्रतिवेदन के संबंध में
6. जानकारी दी जायेगी।
7. चयनित उम्मीदवार को कार्य की जिम्मेदारी दी जायेगी।
8. निकाय स्तर पर पदस्थापित स्वच्छ साथी को इस तरह से वार्ड की जिम्मेदारी दी जायेगी की सभी वार्डआच्छादित हो जाय। (एक से अधिक वार्ड की जिम्मेदारी)
9. इस विज्ञापन के शर्तों को किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के आशिक या पूर्णतः संशोधित करने अथवा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
10. स्वच्छता साथी के कार्य की जिम्मेदारी:-
 1. अपने संबंधित वार्ड के सभी घरों का भ्रमण करना एवं स्वच्छता से संबंधित जानकारी जुटाना।
 2. घर के मुखिया को Waste Segregation Home एवं Composting करने हेतु प्रेरित करना।

3. घर के मुखिया को सूखे एवं गीले कचरे को अलग-अलग कर निकाय की Collection वाली गाड़ी को देने हेतु प्रेरित करना।
4. घर के मुखिया एवं अन्य सदस्यों से मिलकर समस्या का निराकरण कराना एवं उन्हें समझाना।
5. Single use plastic carry bag के उपयोग को बंद करने हेतु प्रेरित करना।
6. घर पर ही Waste से Compost बनाने की विधि बताना एवं Compost बनाने हेतु प्रेरित करना।
7. वार्ड में छोटे स्तर पर छोटे-छोटे समूह की बैठक कर कचरे के फायदे एवं उससे स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव पर चर्चा करना।
8. SHG के समूह की होने वाली Monthly बैठक में सम्मिलित होना तथा स्वच्छता विषय पर चर्चा करना।
9. Community Resource Person NULM के साथ समन्वय स्थापित करना।
10. वार्ड में समाज के प्रबुद्ध एवं प्रमुख व्यक्तियों को Citizen Leader के तौर पर तैयार करना।
11. वार्ड पार्षद एवं वार्ड स्तर पर कार्य वाले कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
12. वार्ड के सभी Resident Welfare Association (RWA) से संपर्क स्थापित करना एवं Source Segregation को बढ़ावा देना।
13. वार्ड के सभी विद्यालयों में शौचालय की सफाई को विद्यालय के Management committee के समन्वय स्थापित करते हुए सुनिश्चित करवाना।
14. निकाय स्तर पर निर्मित Community Toilet एवं Public Toilet की स्थिति से लोक स्वच्छता पदाधिकारी को अवगत करना एवं Feedback register करने हेतु नागरिकों को प्रेरित करना।
15. स्वच्छ सर्वेक्षण की सभी गतिविधियों में सहयोग प्रदान करना।
16. Citizen Feedback हेतु घर-घर जाकर App के माध्यम से Feedback register करना।
17. विभिन्न प्रकार के Poster Banner लगवाने, नुक्कड़-नाटक Video show, Triggering में सहयोग करना।
18. वार्ड के सभी Bulk Waste Generator जो 100 कि० ग्रा से ज्यादा Waste प्रतिदिन उत्पन्न करते हो कि पहचान करना।
19. सगय-समय पर Septic tank का desludging करवाने हेतु प्रेरित करना।
20. घर एवं सामुदायिक शौचालय को साफ रखने, किचन से निकलने वाले पानी का सही उपयोग एवं शौचालय से निकलने वाले पानी से होने वाले नुकसान पर नागरिकों को जागरूक करना।
21. स्वच्छता साथी को मिलने वाले लाभ :-
 1. कार्य अवधि पांच घंटे प्रतिदिन न्यूनतम होगी।
 2. प्रतिदिन की उपस्थिति संधारित की जायेगी।
 3. छुटी हेतु निकाय की प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

- 4 मानदेय प्रत्येक माह के एक से पाँच तारीख तक देय होगा।
- 5 प्रतिदिन रू० 300.00 के दर से प्रतिमाह अधिकतम 20 दिन का मानदेय $300 \times 20 = 6000.00$ रू० मानदेय के रूप में देय होगा।
- 6 स्वच्छता साथी को Contractual Basis पर एक वर्ष के लिए Hire किया जायेगा, जिसकी अवधि अक्टूबर, 2026 तक बढ़ाई जा सकती है।
- 7 प्रत्येक स्वच्छ साथी को प्रत्येक वर्ष में 200 दिनों के लिए Engage किया जायेगा।
- 8 200 कार्य दिवस प्रत्येक माह में 20 दिन का होगा जो वर्ष के किसी भी 10 माह (स्वच्छ सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए) में मान्य होगा।
- 9 सभी स्वच्छ साथी को Monitor करने की जिम्मेदारी लोक स्वच्छता पदाधिकारी की होगी।
- 10 छुट्टी एवं अन्य समस्याओं से संबंधित मामले लोक स्वच्छता पदाधिकारी देखेंगे।
- 11 किये गये कार्य की समीक्षा प्रत्येक माह की जायेगी एवं लगातार तीन माह तक कार्य संतोषजनक नहीं होने पर हटाने की कार्रवाई की जा सकती है।

नोट:-

1. यह किसी भी प्रकार से Permanent Position नहीं है। अतः भविष्य में किसी भी तरह Claim का मान्य नहीं होगा।
2. स्वच्छता साथी नगर निकाय के कर्मी नहीं माने जायेगे एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का दैनिक/संवित्त/नियमित की नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा।
3. विशेष जानकारी नगर परिषद, नवादा से कार्यालय अवधि से प्राप्त की जा सकती है।
4. आवेदन पत्र दिए गए प्रपत्र में नगर परिषद, नवादा, कार्यालय में 27 जनवरी 2026 तक जमा करना होगा।

 27/1/26
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, नवादा।